

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा
(पीठसीन अधिकारी प्रशासन गांव के संग/कैम्प कोर्ट 2021)
पीठसीन अधिकारी :- श्रीमती शकुन्तला चौधरी आर०ए०एस०

उनवान

बनाम

मंजू देवी

जमानो देवी

दावा बाबत :- 88 R Act

मुकदमा नम्बर :- 339/2021

निर्णय दिनांक :- 17-11-2021

वादी की ओर से वकील नरेश कुमार की व प्रतिवादी सं० 1, 2, 3 की ओर से वकील जुलान देवी की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 17-11-2021 को मुझ शकुन्तला चौधरी सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक भादरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि

राही भोजा देवी के खाता सं० 300/298 के खाते सं० 670 की 10,9520 ₹, खाता सं० 713 की 4,9320 ₹, खाता सं० 757 की 1,8330 ₹ कुल 17,7170 ₹ बाराही खाते पर लुमि भूमि प्रतिवादी जमानो देवी, उभा देवी, स्व० जयनारायण, स्व० नन्दलाल के नाम संयुक्त रूप से 4,989 ₹ राजस्व रिकार्ड में पंज है मे से जमानो देवी, उभा देवी, स्व० जयनारायण स्व० नन्दलाल का नाम कलमजत किया जाकर वादीया मंजू देवी को खातेदार काश्तकार घोषित की जाती है - मुक्ति प्रतिवादी सं० 1 ता प ने अपना समुची हक व हिस्सा वादीया के पक्ष में त्याग कर चुन्य कर लिया है इसलिए त्याग किए गए हिस्से पर पंजीयन किया जा देय पंजीयन शुल्क एवं स्टाम्प शुल्क अदा करने व याद लुमि भूमि वक के रूप में खन हो वा खन मुक्त होने के उपरांत ही राजस्व रिकार्ड में अपुल दायत किया जावे राजानाम का डिक्री का काग पठा जावे।

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 17-11-2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(शकुन्तला चौधरी)

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)

भादरा, जिला नन्दुमा (फास्ट ट्रैक) भादरा

प्र.गा. के संग अ.-2021

कैम्प

21/11